

प्राधिकरण की हवीवपुरा आवासीय योजना के अन्तर्गत नीलामी के माध्यम से आवासीय भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर।

पंजीकरण दि० 10.06.08 से 09.07.08 तक

नीलामी दि० 11.07.08 को प्रातः 11:00 बजे

वाराणसी कैम्प रो लकन-बीएचयू जाने वाली रोड पर मन्सूमा गाँधी कान्सी विद्यापीठ के सन्निकट प्राधिकरण की हवीवपुरा आवासीय योजना के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजन हेतु 12 भूखण्ड रिक्त हैं। इन भूखण्डों का आवंटन जन-सामान्य के मध्य खुली नीलामी के माध्यम से किया जायेगा। इन भूखण्ड के नीलामी द्वारा आवंटन हेतु निर्धारित पत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। नीलामी उपरोक्त तिथि को प्रातः 11:00 बजे प्राधिकरण कार्यालय के सचिव कक्ष में होगी। आवंटन के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित पंजीकरण शुल्क जो नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में होगा, के साथ आवेदन पत्र उक्त तिथि तक सम्पत्ति विभाग में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र राजा उदय प्रताप मार्ग स्थित प्राधिकरण कार्यालय के स्टोर से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी कार्यालय समय में सम्पत्ति विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

क्र० सं०	भूखण्ड का प्रकार एवं संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	आरक्षित मूल्य प्रतिवर्ग मीटर	पंजीकरण धनराशि	भुगतान पद्धति
1.	भूखण्ड संख्या-2	189.00	रु. 9,315.00	1,76,100.00	नीलामी की तिथि को उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत धनराशि एवं अवशेष धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर जमा करना होगा।
2.	भूखण्ड सं०-3 व 4	180.00	रु. 9,315.00	1,67,700.00	तदैव
3.	भूखण्ड संख्या-7	192.50	रु. 9,315.00	1,79,500.00	तदैव
4.	भूखण्ड संख्या-8 व 9	125.00	रु. 9,315.00	1,16,500.00	तदैव
5.	भूखण्ड संख्या-10	131.25	रु. 9,315.00	1,22,300.00	तदैव
6.	भूखण्ड संख्या-11	138.75	रु. 9,315.00	1,29,300.00	तदैव
7.	भूखण्ड संख्या-12	139.50	रु. 9,315.00	1,29,950.00	तदैव
8.	भूखण्ड संख्या-13	144.00	रु. 9,315.00	1,34,200.00	तदैव
9.	भूखण्ड संख्या-14	135.00	रु. 9,315.00	1,25,800.00	तदैव
10.	भूखण्ड संख्या-15	189.13	रु. 9,315.00	1,76,200.00	तदैव

- नोट :-
- यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों वश नीलामी हेतु निर्धारित तिथि पर कार्यालय बन्द हो जाता है तो अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर नीलामी की कार्यवाही होगी।
 - उपरोक्त सभी प्रकार के भूखण्डों पर निर्माण हेतु प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत करना अनिवार्य होगा।
 - भूखण्ड के मूल्य के अतिरिक्त भूखण्डों के मूल्य का 10% अतिरिक्त शुल्क, 12% की छील शल्क देय होगा। कार्पर के भूखण्डों पर भूखण्ड के मूल्य का 10% कार्पर शुल्क एवं पार्क फॉर्सेम भूखण्डों पर मूल्य का 5% शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
 - नीलामी के पश्चात् यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलामी की तिथि को 25% धनराशि जमा नहीं की जाती है तो पंजीकरण धनराशि जप्त कर ली जायेगी तथा यदि निर्धारित अवधि के अन्दर अवशेष धनराशि जमा नहीं की जाती है तो समस्त जमा धनराशि जप्त कर ली जायेगी।
 - प्राप्त किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण वाराणसी में निहित है।